न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 30/2016 तारीख रजू 18.09.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. सचिन शर्मा पुत्र श्री लाल साहब शर्मा (मौके पर विक्रेता) मैसर्स सनराईज सुपर मार्केट 54 एम.पी. कॉलोनी पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर निवासी बी–1 सीमेन्ट फेक्ट्री एरिया सवाई माधोपुर।
2. रामदयाल गर्ग पुत्र उंकार लाल गर्ग (फर्म मालिक) मैसर्स सनराईज सुपर मार्केट 54 एम.पी. कॉलोनी पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर निवासी 54 एम.पी. कॉलोनी सवाई माधोपुर ।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 10-02-2021

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 23.11.2015 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स सुपर मार्केट 54 एम.पी. कॉलोनी सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहाँ पर सचिन शर्मा पुत्र श्रीलाल साहब शर्मा निवासी बी–1 सीमेन्ट फेक्ट्री एरिया पोस्ट व जिला सवाईमाधोपुर उपस्थित मिला आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया,दुकान में खाद्य पदार्थ घी,तेल,मसाले,दाले,बिस्किट,नमकीन,टोस,आचार,नमक आदि विक्रय हेतु प्रदर्शित थे, दुकान की रेंक में खाद्य पदार्थ सूजी मिल्क रस (रोजाना) 320 ग्राम पेपर बैग पैक के 18 पेपर बैग पैक विक्रय हेतु दुकान में रखे हुये थे का मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा–पत्र पेश किया गया जिस पर में रामदयाल गर्ग पुत्र उंकार लाल गर्ग मैसर्स सनराईज सुपर मार्केट 54 एम.पी. कॉलोनी फर्म मालिक होना बताया तत्पश्चात नमूना वास्ते जॉ हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। यह है कि खाद्य पदार्थ सूजी मिल्क रस (रोजाना) 320 ग्राम पेपर बैग के 4 पेपर पैक वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 1620/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा खरिदे गये खाद्य पदार्थ सूजी मिल्क रस (रोजाना) 320 ग्राम पेपर बैग पैक 4 पैपर बैग पैक को 4 डिब्बों में भर कर चार लेबल तैयार किये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर सील चपडी किया गया तथा प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाकर पेपर स्लिप व रेपर दोंनो पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.01.28 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

लिखकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। यह आवेदक ने मौके पर पर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर,सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहॉ जिस पर अभियुक्त विक्रेता सचिन शर्मा पुत्र श्री लाल साहब ने पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक ने सम्पूर्ण कार्यवाही कर कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवॅर में सीलबंद कर सील मोहर कर 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में विशेष वाहक के साथ जयपुर जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियॉं के आउटर कव।र में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर मो जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। यह है कि डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2016/534 दिनांक 22.02.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 3918/एक्ट/2015/319 दिनांक 29.012016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सूजी मिल्क रस (रोजाना) 320 ग्राम पेपर बैग मिसब्राण्ड पाया गया। यह है कि अनुसंधान बाबत रामदयाल गर्ग पुत्र उंकार गर्ग मैसर्स सनराईज सुपर मार्केट 54 एम.पी. कॉलोनी सवाई माधोपुर को पत्र लिखे गये। यह है कि आवेदक द्वारा समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2016/534 दिनांक 22.02.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र कमांक एफएसएसए/2016/1800 दिनांक 11.07.2016 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

अतः प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(I) खाद्य पदार्थ सूजी मिल्क रस (रोजाना) 320 ग्राम पेपर बैग पैक का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये वकील उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य प्रकृति के सूजी मिल्क रस (रोजाना) का विकय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई सत्यता नहीं है बिलकुल झूठा प्रकरण बनाया गया है। यह है कि आवेदक द्वारा अभियुक्तगण के यहॉं से कोई खाद्य पदार्थ जप्त नहीं किया गया है जबरदस्ती खाली कागजातो पर हस्ताक्षर कराये गये है तथा जो बेड के पेकेट दुकान से जप्त करना बताया गया वह सील पैक जप्त करना बताया है ओर उन पर निर्माता कम्पनी न्यू जनता बेकरी 318 किशनपोल बाजार जयपुर का नाम स्पष्ठरूप अंकित है इसके उपरान्त भी आवेदक द्वारा निर्माता कम्पनी को नोटिस तक नहीं दिया गया है केवल बदयान्ती पूर्वक कार्यवाही की गयी है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/3918/एक्ट/2015/319 दिनांक 29.1.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.01.28 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

किया गया खाद्य पदार्थ सूजी मिल्क रस (रोजाना) मिसब्राण्ड पाया गया। जहॉ तक वकील अभियुक्तगण द्वारा बहस में यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण बदयान्ती पूर्वक बनाकर अभियुक्तगण परेशान करने की मंशा से बनाया गया है तो उक्त संबंध में वकील अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पत्रावली में पेश नहीं किया है जिससे साबित हो सके की प्रकरण परेशान करने की मंशा से बनाया गया हो।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ सूजी मिल्क रस (रोजाना) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 पर पृथक–पृथक रूप से 5000, 5000 हजार रूपये कुल 10000/– दस हजार रूपये (अक्षरे कुल 10000/– रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10-2-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.01.28 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested